

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र. 4509/एफ-1-143/31/एस-2/2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 28/10/2021

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा की तांदुला परियोजना अन्तर्गत खपरी माईनर के रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

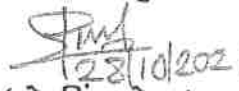
संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-1034/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2020/9435, दिनांक 20.10.2020

—00—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 367/सी-28269/11/वित्त/नियम/चार/रायपुर दिनांक 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50/2011 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 के अनुक्रमांक-88 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा की तांदुला परियोजना अन्तर्गत खपरी माईनर के रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु.42.00 लाख (रुपये बयालीस लाख) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रुपांकित सिंचाई 110 हेक्टेयर में 25.89 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रुपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लेखाशीर्ष- 4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [05]- तांदुला परियोजना {800}- अन्य व्यय, 0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं(सामान्य), (5516)-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड) #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**


(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(जल संसाधन विभाग)

पृ. क्र. 4510/एफ-1-143/31/एस-2/2020 ,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 28/10/2021

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला- दुर्ग (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग जिला- दुर्ग (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग